न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2025/7

मिसल नम्बर– 03 / 2025

1.गोपाल लाल मीना पुत्र स्व0 श्री भंवरलाल आयु 72 वर्ष जाति मीना निवासी 02–डी–23 तलवंडी कोटा राज0 हाल निवास 738 स्व0 योगेन्द्र जी का मकान, रामजानकी मंदिर के पास केशवपुरा कोटा राज0

प्रार्थी।

बनाम

1.राजेन्द्र मीना पुत्र श्री गोपाल लाल मीना आयु 39 वर्ष जाति मीना
2.श्रीमती स्वीटी मीना (शर्मा) पत्नी राजेन्द्र मीना आयु 35 वर्ष निवासीगण 2–डी–23 तलवंडी कोटा राज0

अप्रार्थीगण।

–:निर्णयः–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 27/6/25

उपस्थितिः–

1.श्री प्रतीक लोहोमी प्रार्थीगण अधिवक्ता।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वरिष्ठ वृद्ध व्यक्ति है प्रार्थी की पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है तथा प्रार्थी के दो पुत्र व एक पुत्री है। पुत्री शादी के पश्चात् अपने ससुराल में निवास करती है तथा पूर्व में प्रार्थी का द्वितीय पुत्र / अप्रार्थी कम–1 राजेन्द्र मीना अपनी पत्नी के साथ प्रार्थी के मकान में निवास करता था। अप्रार्थी कम – 1 का विवाह अप्रार्थी कम–2 के साथ विवाह सम्पन्न हुआ था इस प्रकार अप्रार्थीगण प्रार्थी के संगे बेटे – बहु है। प्रार्थी मूलतः 2–डी–23, तलवंडी, कोटा–राजे० का निवासी है तथा उक्त मकान प्रार्थी को पैतृक रूप से प्राप्त हुआ है। प्राथी आईएल फैक्ट्री से रिटायर्ड ड्राईवर है तथा जिसे किसी भी प्रकार की कोई पेन्शन नहीं मिलती है और न ही आय का कोई स्त्रोत है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सभी उक्त मकान 2 –डी–23, तलवंडी, कोटा–राज० पर एक साथ निवास कर रहे थे। प्रार्थी का दूसरा पुत्र हरीश चौकीदारी का कार्य करता है, जिसकी आर्थिक स्थति ठीक नही हैं जो हमेशा से ही प्रार्थी की मदद के लिये तैयार एवं तत्पर रहता है तथा अलग होस्टल में निवास करता है। विवाह के पश्चात् से ही अप्रार्थीगणों का व्यवहार प्रार्थी के साथ अभद्रता पूर्ण रहा है। अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थी के साथ लडाई झगडा करते है और कहते है। कि यह मकान हमारा है हम फ्रि नही है कि तुम्हरी देखभाल करते रहे, अप्रार्थीगण प्रार्थी से हमेशा अपशब्दों का प्रयोग करते है और कहते है कि यहां रहना है तो खर्चा देना होगा वरना इस मकान को छोडकर कहीं ओर चले जाओ । अप्रार्थीया क्रम–2 कहती है कि मैं घर के काम करने के लिये नही बनी हूं। अतः न तो मैं घर का काम करूंगी और न

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

ही तुम्हारी कोई देखाभाल करूंगी। इस प्रकार अप्रार्थीया कृम –2 न तो घर का कोई काम करती और न ही बहु होने का कोई फर्ज निभाती और उसके इस कृत्य में अप्रार्थी कम–1 भी उसका समर्थन करता। परिवार की बदनामी न हो तथा अप्रार्थीगण का घर नही बिगडे इस कारण प्रार्थी सबकुछ बर्दाश्त करता रहता रहा ताकि अप्रार्थीगण का घर नही बिगडे एवं यह सोचकर कि समय के साथ सबकुछ ठीक हो जायेगा। अप्रार्थीगणों की सारी बदतमीजीयां एवं अभद्रता बर्दाश्त करता रहा। इस पर अप्रार्थीगण के होंसले और बुलंद हो गये और वह आये दिन प्रतिदिन प्रार्थी को जलील करने तथा परेशान करने का हर संभव प्रयास करने लगे और यहां तक कि मारपीट करना भी शुरू कर दिया। अप्रार्थीगण, प्रार्थी के मकान में रहते हुए भी आये दिन प्रार्थी को कोसते रहते है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी क्रम –1 के साथ घर में ही मारने की कोशिश की जा चुकी है, प्रार्थी को पूरा अंदेशा है कि अप्रार्थीगण उसे मारकर प्रारथी के मकान पर कब्जा करना चाहते है। अप्रार्थीगण का यह दायित्व है कि प्रार्थी जो कि वृद्ध व्यक्ति है तथा घुटनों की समस्या से पीडित है जिसके हाथ पैर कांपते है तथा आप्रार्थीगण का दायित्व है । प्रार्थी जो वृद्ध है के प्रति अपने नैतिक व सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करे तथा वृद्वावस्था एवं बीमारी की दशा से लाचार होने की स्थिति में प्रार्थी के भरण पोषण संरक्षण एवं सुरक्षा आदि समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करे। अप्रार्थीगण के मध्य दुरभि संधी होने के कारण अप्रार्थीगण, प्रार्थी के मकान पर कब्जा करने को आमादा हो गये है, अप्रार्थी करम–2 बारम्बार धमकी देने लगी है कि यदि अप्रार्थी कम–2 की उक्त मांगो को नही माना जाता है और उक्त मांगो की पूर्ति करने में किसी भी प्रकार की कोताही बरती जाती है तो अप्रार्थी कम–2 प्रार्थी व उसके परिवारजन के विरूद्ध झूठे मुकदमें दर्ज करवा देगी, साथ ही प्रार्थी कम–2 के प्रति बलात्कार का आरोप लगाकर झूठे मुकदरमों में फंसाकर जेल की हवा खिलायेगी। साथ ही अप्राथी क्रम–1 की सास एवं अप्राथी क्रम–2 की माता को बुलाकर अपने घर पर रख रखा है। आज दिनांक से लगभग 4 माह पूर्व अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के साथ मारपीट एवं अभद्रता कर घर से निकाल दिया और प्राथी से कहा कि आज यह मकान हमारा है और इसे भूल जाओ और अपने लिये और कहीं आसरा देख लो। जब से ही प्रार्थी अलग किराये के मकान में रहकर निवास कर रहा है और दर–दर की ठोकरे खाने को मजबूर हो रहा है तथा प्रार्थी एक बुर्जुग व्यक्ति होने के कारण कहीं पर काम करने पर भी असमर्थ है और अपना भरण पोषण भी नही कर पा रहा है। अतः अत्यधिक विनम्रतापूर्वक यह प्रार्थना की जाती है कि माननीय न्यायालय अप्रार्थीगण को इस बाबत् पाबन्द करे कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी के भरण पोषण व देखभाल की समुचित व्यवस्था एवं प्रबन्ध करें, प्रार्थी के साथ समुचित व्यवहार करें और प्राथी के आवासीय परिसर को खाली कर स्वंय के निवास के लिये पृथक से व्यवस्था करें। प्रार्थी के साथ ऐसा कोई कृत्य अमल में नही लावे जिससे प्रार्थी के जीवन की सुखशांति भंग हो और प्रार्थी को किसी भी प्रकार से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक आघात पहुंचे। प्रार्थी को शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने दे एवं उनके साथ किभी प्रकार से अभद्र व्यवहार न करें। प्रार्थी की स्वअर्जित सम्पत्ति के बेचान नामान्तरण के लिये विवश न करें। साथ ही अन्य अनुतोष स्वीकृत करें जो तथ्यों और परिस्थतियों के अधीन ठीक और उचित समझे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थी को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये परन्तु जवाब प्रस्ततु नही किया गया अतः जवाब का अवसर बंद किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
को

अप्रार्थीगण का जवाब बन्द करने के पश्चात पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। प्रार्थी की ओर से बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये अप्रार्थी को प्रार्थना पत्र में वर्णित मकान से बेदखल किये जाने का निवेदन किया गया। अप्रार्थीगण बहस हेतु उपस्थित नही हुये।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थी के साथ लडाई झगडा करते है और कहते है कि यह मकान हमारा है हम फि नही है कि तुम्हरी देखभाल करते रहे, अप्रार्थीगण प्रार्थी से हमेशा अपशब्दों का प्रयोग करते है और कहते है कि यहां रहना है तो खर्चा देना होगा वरना इस मकान को छोडकर कहीं ओर चले जाओ। प्रार्थी ने फर्द दस्तावेज में अप्रार्थीगण का अन्य मकान का फोटो पेश की है एवं कथन किया है कि अप्रार्थीगण का स्वयं का एक अन्य मकान शिवकुंज नगर थेगड़ा कोटा में स्थित है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त मकान में निवास नही करके प्रार्थी के मकान 2–डी–23 तलवंडी कोटा में बलपूर्वक निवास किया जा रहा है एवं प्रार्थी के साथ मारपीट लड़ाई झगड़ा करके प्रार्थी को अपने मकान से बेदखल कर दिया है जिससे प्रार्थी को किराये के मकान में निवास करना पड़ रहा है। अप्रार्थीगण की ओर प्रकरण में जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही किया गया और न ही बहस हेतु उपस्थित हुये है अतः अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थी की कथनों का किसी प्रकार से कोई खण्डन नही किया है जिस कारण से प्रार्थी के द्वारा किये गये कथन अखण्डनीय रहे है एवं जिन पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण उत्पन्न नही होता है। अतः प्रार्थी द्वारा किये गये कथन उचित प्रतीत होते है। अप्रार्थीगण का यह कर्तव्य है कि वह प्रार्थी की सार संभाल करे परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की वृद्धावस्था में सेवा सुषुश्रा, कर्तव्य पालन न करके शारीरिक एवं मानसिक प्रताडित किया जा रहा है। जिससे प्रार्थी त्रस्त है। अप्रार्थीगण एक ही मकान में रहते हुये निरंतर अवसाद–मानसिक अशांति उत्पन्न करते रहते है। जिस कारण से प्रार्थी को वृद्धावस्था में सम्मानजनक एवं शांतिपूर्वक जीवन जीने से वंचित होना पड़ रहा है। चूंकि अप्रार्थीगण के पास निवास हेतु एक अन्य मकान और है अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम स्वीकार कर वर्णित मकान/प्लॉट नम्बर–2–डी–23 तलवंडी कोटा राज0 से अप्रार्थीगण को बेदखल किया जाता है एवं अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वह प्रार्थी द्वारा निवास किये जा रहे परिसर में शाति पूर्ण निवास उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे। बेदखली के आदेश की पालना नही करने की स्थिति में तहसीलदार लाडपुरा को आदेश की पालना हेतु कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाता है तथा दौरानें बेदखली कार्यवाही किसी प्रकार की शांतिभग ना हो इसलिये थानाधिकारी जवाहर नगर कोटा को आदेशित किया जाता हैं कि मय जाप्ता मौंके पर उपस्थित रहें।

उक्त निर्णय आज दिनांक 27/6/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा